

छावनी परिषद मेरठ

रक्षा मंत्रालय

लोक सूचना

का.नि.आ.9(अ).-निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006(2006 का 41) की धारा 346 की उपधारा(2) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन प्रतिनियुक्त विभिन्न अधिकारियों द्वारा छावनियों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट के प्रारूप को निर्धारित करने और छावनी (छावनियों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप) नियम, 1976 को बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 346 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उस तारीख, जिस को इस भारत के राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है कि प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती है 60 दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त किसी भी आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि हो, को निदेशक (भूमि एवं छावनी) रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजा जा सकेगा।

उक्त प्रारूप नियम की प्रति अवलोकनार्थ कार्यालय छावनी परिषद मेरठ में कार्यालय समय में सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध रहेगी।

दिनांक : 15 अगस्त 2016


मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, मेरठ।

Cantonment Board, Meerut
Ministry of Defence
Public Notice


S.R.O. 9(E).-The following draft rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Clause (i) of sub-section (2) of section 346 of the Cantonment Act, 2006 (41 of 2006), prescribing the form of annual inspection report on Cantonment to be made by various officers deputed under section 52 of the said and in supersession of the Cantonments (Form of Annual Report on Cantonment Administration) Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is hereby published as required by the said section 346 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Objection or suggestions, if any, may be addressed to the Director (Land and Cantonment) Ministry of Defence, Sena Bhawan, New Delhi, 110011.

The said draft rules are available for inspection in the office of Cantonment Board, Meerut on all working days during working hours.

Date : 15 August, 2016


Chief Executive Officer
Meerut Cant